



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

23 अग्रहायण 1945 (श10)
(सं0 पटना 1006) पटना, बृहस्पतिवार, 14 दिसम्बर 2023

सामान्य प्रशासन विभाग

आदेश

21 नवम्बर 2023

सं० 3/एम0-22/2023सा10प्र0/21430—राज्य सरकार के विभिन्न विभागों एवं क्षेत्रीय कार्यालयों में सेवानिवृत्त एवं भविष्य में सेवानिवृत्त होने वाले सरकारी सेवकों की सेवायें संविदा के आधार पर लिए जाने हेतु सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प ज्ञापांक-10000 दिनांक-10.07.2015 द्वारा प्रक्रिया निर्धारित है। उक्त संकल्प के साथ संलग्न अनुसूची में सम्मिलित पदों पर ही संकल्प के प्रावधानों के तहत सेवानिवृत्त सरकारी सेवकों का संविदा के आधार पर नियोजन किया जा सकता है।

2. (क) संकल्प की कंडिका-3(1) के प्रावधान के तहत पंचायती राज विभाग से प्राप्त प्रस्ताव पर सम्यक विचारोपरान्त निम्नांकित पदों को उपर्युक्त संकल्प ज्ञापांक-10000 दिनांक 10.07.15 की अनुसूची में सम्मिलित किया जाता है—

क्र०सं०	विभाग का नाम	संकल्प संख्या-10000 दिनांक-10.07.15 अनुसूची में सम्मिलित किये जाने वाले प्रस्तावित पद
1.	पंचायती राज विभाग	अंकेक्षण सेवा संवर्ग के— (i) अंकेक्षक, वरीय अंकेक्षण अधिकारी, (ii) जिला अंकेक्षण अधिकारी, एवं (iii) मुख्य अंकेक्षण अधिकारी।

(ख) सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश संख्या-19379 दिनांक-01.11.2022 एवं आदेश संख्या-13804 दिनांक-08.08.2022 द्वारा क्रमशः भवन निर्माण विभाग के नियंत्रणाधीन ए0सी0 पर्यवेक्षक एवं सहकारिता विभाग के नियंत्रणाधीन बिहार सहकारी अंकेक्षक संवर्ग के "अनुमण्डल अंकेक्षण पदाधिकारी" एवं "वरीय अंकेक्षण पदाधिकारी" के पद को संकल्प ज्ञापांक-10000 दिनांक 10.07.15 की अनुसूची में इस शर्त के साथ सम्मिलित किया गया है कि इस पद पर सेवानिवृत्त सरकारी सेवकों का संविदा नियोजन मात्र एक वर्ष के लिए किया जायेगा।

इस संदर्भ में प्रशासी विभागों के अनुरोध पर सम्यक् विचारोपरान्त उपर्युक्त शर्त को विलोपित करते हुए भवन निर्माण विभाग के नियंत्रणाधीन ए0सी0 पर्यवेक्षक एवं सहकारिता विभाग के नियंत्रणाधीन बिहार सहकारी अंकेक्षक संवर्ग के "अनुमण्डल अंकेक्षण पदाधिकारी" एवं "वरीय अंकेक्षण पदाधिकारी" के पद पर संविदा नियोजन अगले एक वर्ष के लिए किये जाने का निर्णय लिया गया है।

3. उपरोक्त पदों पर सेवानिवृत्त सरकारी सेवक के संविदा नियोजन हेतु संकल्प ज्ञापांक-10000 दिनांक-10.07.2015 में निहित शर्त एवं प्रक्रिया लागू रहेंगी एवं इन पदों पर सेवा लेने के संबंध में प्रशासी विभाग द्वारा ही नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

आदेश से,
गुफरान अहमद,
सरकार के संयुक्त सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 1006-571+10-डी0टी0पी0
Website: <http://egazette.bih.nic.in>